अपील सूचना अधिकार संख्या 21/2019 (RCMS 2019/00066) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 69 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पो.ऑ. नम्बर 41एफ/169788) बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.10.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में कहा कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगगानगर के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 05 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे लोक अधिकारी से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित की जावे एवं हर्जाना प्रार्थी को दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.01.2019 से लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1 वर्ष 2018 तक जिले में नशा मुक्ति करवाने हेतु जो प्रयास उनके विभाग द्वारा किये गये, उस कार्यवाही की सूचना।
2. वर्ष 31.12.2018 तक नशा से सम्बन्धित जो कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज किये है, उसकी सूचना।
3. नशा से सम्बन्धित जो अवैध दवाईया या वस्तु या सामग्री पुलिस द्वारा जब्त की गई है, दिनांक 31.12.2018 तक उसकी राशि की सूचना।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. अपराधियों से जब्त दवाईयों का नाम जिनसे नशा का कारोबार बढ़ता है या नशा की प्रवृति में वृद्धि होती है व नशे के मरीज बढ रहे है, उन दवाईयों का नाम की सूचना।
5. ये आबंधिक दवाईयों का आगमन जिस स्थान से श्रीगंगानगर में हो रहा है, उसकी सूचना।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 4433 दिनांक 11.03.2019 से निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि श्री राधेश्याम गोयल द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर) के पत्र क्रमांक (15) गंगा/लो.सू.अ./2018/301—02 दिनांक 14.02.2019 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। फोटो प्रति संलग्न हैं

अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने कर श्रम करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर राज. ने अपने पत्रांक (15)गंगा/लो.सू.अ./2018/301—02 दिनांक 14.02.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगानुसार लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 01 स 05 तक की सूचना चाही गई है।

आप द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 01 की सूचना सामान्य शाखा व बिन्दु संखय 02 की सूचना सांख्यिकी अनुभाग एवं बिन्दु संख्या 04 की सूचना एसआर अनुभाग कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगागनर से प्राप्त कर संलग्न पत्र प्रेषित है तथा बिन्दु संख्या 03 व 05 की सूचना संकलित नहीं है जो भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मत्रांलय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11.02.2008 आई आर एवं दिनांक 10.07.2008 के बिन्दु संख्या 02 के तहत खोजकर एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती हे।

प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगागनर है। जिनके कार्यालय टेलिफोन नं. 0154–2443000

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से है और लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अधिकृत है। अतः यहां से अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है एवं अपीलार्थी पुलिस अधीक्षक के समक्ष कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है।

आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर